राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 322/2024 | तारीख रजू 29.07.2024 | निर्णय दिनांक 15-9-2025

उनवानः

1. बलवीर उम्र 85 वर्ष पुत्र बिडदा पुत्र शंकर पुत्र घीसा
2. हरिसिंह उम्र 82 वर्ष पुत्र बिडदा पुत्र शंकर पुत्र घीसा
3. कैलाश उम्र 63 वर्ष पुत्र पुत्र बिडदा पुत्र शंकर पुत्र घीसा
4. संजय उम्र 36 वर्ष पुत्र बाबूलाल पुत्र बिडदा पुत्र शंकर पुत्र घीसा
5. मंजीत उम्र 32 वर्ष पुत्र बाबूलाल पुत्र बिडदा पुत्र शंकर पुत्र घीसा
6. शारदा उम्र 39 वर्ष पुत्री बाबूलाल पुत्र बिडदा पुत्र शंकर पुत्र घीसा
7. संतरा उम्र 70 वर्ष पुत्री बाबूलाल पुत्र बिडदा पुत्र शंकर पुत्र घीसा सभी जाति माली निवासीयान प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

......वादीगण

बनाम

1. अंगूरी पत्नी मनफूल जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
2. औमप्रकाश पुत्र मनफूल जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
3. बिमला पुत्री मनफूल जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
4. वीरेन्द्र पुत्र मनफूल जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
5. शकुन्तला पुत्री मनफूल जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
6. श्योचन्द पुत्र मनफूल जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
7. लाला पुत्री मीनाराम जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
8. पुष्पा पत्नी पवन कुमार जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
9. मोहित पुत्र प्रकाशचन्द पुत्र मनफूल जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
10. मोनिका पुत्र प्रकाशचन्द पुत्र मनफूल जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
11. सिंघराज पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
12. रामावतार पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
13. सुमेर पुत्र महावीर पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
14. विजय पुत्र महावीर पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
15. लाली पुत्री महावीर पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
16. छगली पुत्री महावीर पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
17. शारदा पुत्री महावीर पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
18. बरफली उर्फ बरफो पुत्री जयनारायण जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
19. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
20. उप पंजीयक नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
21. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर कोटपूतलील–बहरोड
22. इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा नीमराना जरिये शाखा प्रबन्धक

.....असल प्रतिवादी

23. मूर्ति पुत्री बिडदा पुत्र शंकर जाति माली

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

24. सन्तोष पुत्री बिडदा पुत्र शंकर जाति माली निवासी ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

....तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः– श्री राजेन्द्रसिंह योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से
श्री शीशराम यादव योग्य अधिवक्ता प्रति.सं03,5,810,15से18,23,24 की ओर से

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 970 रकबा 0.26 है0, 971 रकबा 0.43 है0, 969 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना मे स्थित है जिसके संवत 2042 से पुर्व के श्खसरा नम्बर 241,242, 243 थे तथा संवत 2020 से पुर्व के खसरा नम्बर 197,198, 199 थे। संवत 2020 के खसरा नम्बर 198,199 के संवत 2011 से 2018 तक जमाबन्दी मे 1/2 हिस्से की खातेदार हम वादीगण के बुजूर्ग शंकर पुत्र घीसा के नाम से तथा 1/2 हिस्सें की खातेदार प्रतिवादीगण के बुजूर्ग मीना पुत्र बालू के नाम से दर्ज रिकार्ड थी और इसी अनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त करते थे तथा इसी अनुसार हम वादीगण के बुजूर्ग शंकर पुत्र घीसा के 1/2 हिस्से पर पीढी दर पीढी कोबिज चले आ रहे है लेकिन बन्दोबस्त संवत 2020 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा नये नम्बर 241,242, 243 कायम कर उस पर से हम वादीगण के बुजूर्ग की गलती व लापरवाही से बिना पुर्व रिकार्ड की जांच किये ही खसरा नम्बर 241 तो हम वादीगण के बुजूर्ग शंकर पुत्र घीसा के नाम से दर्ज कर दिया तथा खसरा नम्बर 242,243 प्रतिवादीगण के बुजूर्ग मीना पुत्र बालू के नाम से दर्ज कर दिये गये जो गलत इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड मे रिपीट होता रहा और संवत 2042 मे भी उक्त खसरा नम्बर साबिक 241,242, 243 के नये खसरा नम्बर 969, 970, 971 कायम कर, पुर्व गलत रिकार्ड को रिपीट करते हुऐ खसरा नम्बर 969 हम वादीगण के बुजूर्ग के नाम से दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 970, 971 प्रतिवादीगण के बुजूर्ग मीना पुत्र बालू के नाम से गलत दर्ज कर दिये गये जबकि उक्त खसरा नम्बर 969, 970, 971 के 1/2 हिस्से की खातेदार वादीगण के बुजूर्ग शंकर पुत्र घीसा के नाम से तथा 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण के बुजूर्ग मीना पुत्र बालू के नाम से दर्ज होनी चाहिऐ थी । लेकिन बंन्दोबस्त संवत 2020 व संवत 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा गलती व लापरवाही से बिना किसी न्यायालय के आदेश व बिना बयनामा के गलत खातेदारी दर्ज कर दी गई। जबकि मौके पर बुजूर्गो के समय से उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर हम वादीगण तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण काबिज रहकर काश्त कर रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारीयो द्वारा गलत खातेदारी दर्ज कर दी गई। जिसे दुरूस्त किया जाकर उक्त खसरा नम्बरान के हाल राजस्व रिकार्ड की खातेदारी कलमजन की जाकर उक्त आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार हम वादीगण को तथा 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादीगण को घोषित किया जाने एवं रिकार्ड मे उसी अनुसार खातेदारी दर्ज करवाने तथा प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मत तलब किये गये । प्रतिवादी सं. 1,2,4,6,7,9,11 से 14, 22, बाद तामिल न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा प्रतिवादी सं0 सं0 3,5,810,15,16,17,18,23,24 बाद तामिल जरिये अधिवक्ता श्री शीशराम यादव के न्यायालय मे उपस्थित होकर वादीगण के वाद पत्र की पुष्टि करते हुऐ इकबाल जबाब दावा पेश किया गया तथा पत्रावली वास्ते तनकीयात नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
(कोटपूतली–बहरोड)

उभाय पक्षो के अभिवचनो के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादीगण सआराजी खसरा नम्बर 969 रकबा 0.23 है0, 970 रकबा 0.26 है0, 971 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर उसके 1/2 भाग के खातेदार वादीगण व 1/2 भाग के खातेदार प्रतिवादीगण के दर्ज करवाने के अधिकारी है? ......वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को हुक्म ईक्मतनकाई दवामी से पाबन्द करवाने के अधिकारी है? ....वादीगण

3. अनुतोष ?

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन मे मौखिक साक्ष्य के रूप मे पी.ड.–1 कैलाश पुत्र बिडदा तथा पी.ड.–2 संजय पुत्र बाबूलाल के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श–1 से 13 प्रदर्शित करवाये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई

हमने उभय पक्षो की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यो को दौहराते हुऐ, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद साबित होने के कारण वादीगण के वाद पत्र को डिक्री फरमाया जाने की प्रार्थना की गई।

वकील प्रतिवादीगण ने वकील वादीगण की बहस की पुष्ठि करते हुऐ वादीगण का दावा डिक्री किया जाने के लिए सहमती जाहीर की गई।

हमने वकील वादीगण की बहस पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो एवं प्रतिवादीगण द्वारा पेश इकबाल जबाब दावा का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2015 मे खसरा नम्बर 197,198,199 शंकर वल्द घीसा निष्फ मीना पुत्र बालू निष्फ दर्ज रिकार्ड है। संवत 2020 के मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक खसरा नम्बर 197 के नया नम्बर 241 कायम कर उसकी खातेदारी शंकर वल्द घीसा के नाम से दर्ज की गई है तथा खसरा नम्बर 198 के नया नम्बर 242 तथा 199 के नया नम्बर 243 कायम कर उक्त दोनो खसरा नम्बर 242,243 की खातेदारी मीना पुत्र बालू के नाम से दर्ज की गई है। जो खातेदारी ताहाल राजस्व रिकार्ड मे रिपीट होती चली आ रही है। जो खातेदारी साबिक रिकार्ड के मुताबिक दर्ज नही है। जिसे दुरूस्त करवाने का वाद वादीगण न्यायालय मे पेश किया गया है। उक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी साबिक रिकार्ड के मुताबिक दुरूस्त करने के लिए प्रतिवादी सं0 3,5,810,15,16,17,18,23,24 ने न्यायालय मे उपस्थित होकर इकबाल जबाब दावा पेश किया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के पूर्ण अवलोकन से वादीगण का वाद डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर 970 रकबा 0.26 है0, 971 रकबा 0.43 है0,969 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना के हाल रिकार्ड मे दर्ज तमाम खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उक्त खसरा नम्बरान के वादी सं0 1 लगा0 3 व तरतीवी प्रतिवादी सं0 23,24 प्रत्येक को हिस्सा–1/12 के तथा वादी सं0 4 लगा. 7 प्रत्येक को हिस्सा–1/48 के तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा. 6 प्रत्येक को हिस्सा–1/56 के तथा प्रतिवादी सं0 7 व 8 प्रत्येक को हिस्सा–1/8 के तथा प्रतिवादी सं0 9 व 10 प्रत्येक को हिस्सा–1/112 के तथा प्रतिवादी सं0 11 लगा. 18 प्रत्येक को हिस्सा–1/64 के खातेदार घोषित किये जाते है तथा जिस खातेदार के हिस्से पर जिस बैंक के रहन का अंकन किया हुआ है उसे उसी खातेदारी के हिस्से पर बदस्तूर रखा जावे तथा इसी

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

अनुसार हाल राजस्व जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो तथा पत्रावली फैसल सूमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

नोट:- निर्णय के शीर्षक में प्रतिवादी सं. 15 लगा. 17 के पिता का नाम महावीर के स्थान पर जयनारायण पढ़ा जावे। तथा प्रतिवादी सं० 11,12,15,16,17,18,13,14, के हिस्सा 1/64 के स्थान पर प्रतिवादी सं. 11,12,15,16, 17,18 का हिस्सा 1/56 व 13,14 का हिस्सा 1/112 पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 322 / 2024	तारीख रजू 29.07.2024	निर्णय दिनांक 15-9-2025

उनवान:

1. बलबीर उम्र 85 वर्ष पुत्र बिडदा पुत्र शंकर पुत्र धीसा
2. हरिसिंह उम्र 82 वर्ष पुत्र बिडदा पुत्र शंकर पुत्र धीसा
3. कैलाश उम्र 63 वर्ष पुत्र पुत्र बिडदा पुत्र शंकर पुत्र धीसा
4. संजय उम्र 36 वर्ष पुत्र बाबूलाल पुत्र बिडदा पुत्र शंकर पुत्र धीसा
5. मंजीत उम्र 32 वर्ष पुत्र बाबूलाल पुत्र बिडदा पुत्र शंकर पुत्र धीसा
6. शारदा उम्र 39 वर्ष पुत्री बाबूलाल पुत्र बिडदा पुत्र शंकर पुत्र धीसा
7. संतरा उम्र 70 वर्ष पुत्री बाबूलाल पुत्र बिडदा पुत्र शंकर पुत्र धीसा सभी जाति माली निवासीयान प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

......वादीगण

बनाम

1. अंगूरी पत्नी मनफूल जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
2. औमप्रकाश पुत्र मनफूल जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
3. विमला पुत्री मनफूल जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
4. वीरेन्द्र पुत्र मनफूल जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
5. शकुन्तला पुत्री मनफूल जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
6. श्योचन्द पुत्र मनफूल जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
7. लाला पुत्री मीनाराम जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
8. पुष्पा पत्नी पवन कुमार जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
9. मोहित पुत्र प्रकाशचन्द पुत्र मनफूल जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
10. मोनिका पुत्र प्रकाशचन्द पुत्र मनफूल जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
11. सिंघराज पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
12. रामावतार पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
13. सुमेर पुत्र महावीर पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
14. विजय पुत्र महावीर पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
15. लाली पुत्री महावीर पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
16. छगली पुत्री महावीर पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
17. शारदा पुत्री महावीर पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा
18. बरफली उर्फ बरफो पुत्री जयनारायण जाति माली निवासी प्रतापसिंहपुरा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
19. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
20. उप पंजीयक नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
21. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर कोटपूतलील–बहरोड
22. इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा नीमराना जरिये शाखा प्रबन्धक

.....असल प्रतिवादी

23. मूर्ति पुत्री बिडदा पुत्र शंकर जाति माली

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

24. सन्तोष पुत्री बिडदा पुत्र शंकर जाति गाली निवासी ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

....तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक दुरुस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः– श्री राजेन्द्रसिंह योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से
श्री शीशराम यादव योग्य अधिवक्ता प्रति.सं03,5,810,15से18,23,24 की ओर से

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगंण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर 970 रकबा 0.26 है0, 971 रकबा 0.43 है0,969 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना के हाल रिकार्ड मे दर्ज तमाम खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उक्त खसरा नम्बरान के वादी सं0 1 लगा0 3 व तरतीवी प्रतिवादी सं0 23,24 प्रत्येक को हिस्सा–1/12 के तथा वादी सं0 4 लगा. 7 प्रत्येक को हिस्सा–1/48 के तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा. 6 प्रत्येक को हिस्सा–1/56 के तथा प्रतिवादी सं0 7 व 8 प्रत्येक को हिस्सा–1/8 के तथा प्रतिवादी सं0 9 व 10 प्रत्येक को हिस्सा–1/112 के तथा प्रतिवादी सं0 11 लगा. 18 प्रत्येक को हिस्सा–1/64 के खातेदार घोषित किये जाते है तथा जिस खातेदार के हिस्से पर जिस बैंक के रहन का अंकन किया हुआ है उसे उसी खातेदारी के हिस्से पर बदस्तूर रखा जावे तथा इसी अनुसार हाल राजस्व जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने का आदेश दिया जाता है।

पर्चा डिक्री आजं दिनांक 15.9.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

नोटः- डिक्री के आदेश में प्रतिवादी सं. 15 लगा. 17 के हिस्से [illegible] के स्थान [illegible] पढ़ा जावे। प्रतिवादी सं. 11 लगा. 18 के हिस्से 1/64 के स्थान पर प्रतिवादी सं. 11,12,15,16,17,18 का हिस्सा 1/56 व 13,14 का हिस्सा 1/112 पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)